लोकसभा सामान्य निर्वाचन–2019 (निर्वाचन / महत्वपूर्ण)

पीठासीन / मतदान अधिकारियों के लिए महत्वपूर्ण मार्ग निर्देश

मतदान के एक दिन पूर्व दिनॉक 22.04.2019 को किए जाने वाले कार्य–

1. पीठासीन अधिकारी नियत काउंटर से **मतदान सामग्री** एवं **इलेक्ट्रानिक वोटिंग मशीन** वी0वी0 पेट सहित **(ईवीएम)** प्राप्त कर मतदान सामग्री की सूची एवं **ईवीएम** की जांच कर लें कि मतदान सामग्री एवं **कन्ट्रोल यूनिट**, **बैलेट यूनिट** एवं वी0वी0पेट आपके मतदेय स्थल से ही संबंधित है तथा बैलेट यूनिट एवं कन्ट्रोल यूनिट का **कैण्डीडेट सैट सेक्शन** आर0ओ0 द्वारा ठीक प्रकार से सील किया गया है व उस पर एड्रेस टैग लगा है। इसके साथ ही **निर्वाचक नामावली, अनुपूरक सूचियां** पूर्ण एवं सभी तरह से समान एवं उसी क्षेत्र की हैं, जिसके लिए मतदान केंद्र स्थापित किया गया है।
2. प्राप्त सामग्री की जांच के बाद निर्धारित वाहन पर अपनी पोलिंग पार्टी के साथ बैठें।
3. मतदेय स्थल पर पहुंचकर व्यवस्थित होने के उपरांत एक बार पुनः ईवीएम / समस्त सामग्री की जांच कर लें। किसी सामग्री की कमी होने पर अपने सेक्टर मजिस्ट्रेट को तत्काल सूचित करें। **प्रातः शीघ्र उठकर 6 बजे मॉकपोल हेतु** तैयार हो जाएं।
4. मतदान स्थल के भीतर वोटिंग कम्पार्टमेंट, मतदान कर्मियों के बैठने के लिए समुचित व्यवस्था / मतदेय स्थल में अंदर–बाहर जाने का रास्ता एवं बेरिकेटिंग की जांच कर लें।

मतदान के दिन दिनॉक 23.04.2019 को किए जाने वाले कार्य।

1–मतदान प्रारम्भ होने के समय से कम से कम एक घंटा पूर्व दैनिक कियाओं से निवृत होकर मतदान बूथ में उपस्थित होने वाले पोलिंग एजेन्टों की नियुक्ति पत्रों की जांच कर पास जारी करें तथा कम से कम दो पोलिंग एजेन्टों की उपस्थिति में प्रातःकाल 6.00 बजे मॉकपोल करायें। यदि 6.00 बजे तक कोई पोलिंग एजेन्ट मतदान केन्द्र पर उपस्थित न हो तो 15 मिनट इन्तजार करने के बाद मॉकपोल की कार्यवाही उपस्थित पोलिंग एजेन्ट एवं मतदान कार्मिकों के समक्ष पूर्ण करते हुये मॉकपोल प्रमाण पत्र पर सभी से हस्ताक्षर कराये एवं कन्ट्रोल यूनिट में सी0आर0सी0 की कार्यवाही पूर्ण करें, ध्यान रहे कि मॉकपोल में न्यूनतम 50 बोट अनिवार्य रूप से डाले जायेगें साथ ही पोलिंग एजेन्टों द्वारा नोटा सहित निर्वाचन लडने वााले सभी उम्मीदवारों को रेंडम आधार पर कम से कम तीन–तीन वोट अनिवार्य रूप से दिये जायेगें।

2–मॉकपोल में न्यूनतम 50 बोट डलवाने के पश्चात टोटल बटन दबाकर कुल पडे मतों को लिख लें एवं क्लोज बटन को दबा दें तथा रिजल्ट बटन दबाकर प्रत्येक उम्मीदवारों के पक्ष में डाले गये बोटों एवं ई0वी0एम0 में पडें मतों का मिलान कर पूर्णतः आश्वस्त हो लें कि डाले गये एवं पडें बोटों की संख्या बिल्कुल सही है। तत्पश्चात मॉकपोल प्रमाण पत्र भरकर उपस्थित सभी एजेन्टों से हस्ताक्षर कराकर पीठासीन अधिकारी अपने हस्ताक्षर कर मॉकपोल प्रमाण पत्र को सुरक्षित रख लें। इसके बाद कन्ट्रोल यूनिट की क्लीयर बटन को दबाकर मॉकपोल हेतु पडे वोटों को मशीन की मैमोरी से साफ करदें।

3–यदि पोलिंग स्टेशन पर माइक्रो आब्जर्वर तैनात हैं तो उन्हें भी मॉकपोल की प्रक्रिया में शामिल करते हुये मॉकपोल प्रमाण पत्र पर उनके भी हस्ताक्षर कराये जायेगें, साथ ही वीडियोग्राफर की व्यवस्था उपलब्ध होने पर सम्पूर्ण कार्यवाही की वीडियोग्राफी भी करायी जायेगी।

4–उपलब्ध कराई गई विजिट–शीट को मतदान केंद्र का भ्रमण करने वाले सेक्टर मजिस्ट्रेट, जोनल मजिस्ट्रेट तथा माननीय प्रक्षेक के सम्मुख अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करें, ताकि वे इसमें आवश्यक विवरण दर्ज कर सके।

5–किसी भी मतदान अभिकर्ता एवं मतदाता को मतदान कक्ष में मोबाइल फोन न ले जाने दें।

6–मतदान अभिकर्ताओं को यथासंभव कमरे के भीतर प्रथम व द्वितीय मतदान अधिकारी के पीछे या स्थान की उपलब्धता के अनुसार इस प्रकार बैठाया जाएगा कि मतदाता के कक्ष में प्रवेश करने पर मतदान अभिकर्ता मतदाता को देख सके। अभिकर्ताओं के बैठने का क्रम निम्नवत होगा।

अ– मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय दलों के प्रत्याशी के अभिकर्ता।

ब– मान्यता प्राप्त राज्य स्तरीय दलों के प्रत्याशी के अभिकर्ता।

स– अन्य राज्यों के मान्यता प्राप्त राज्य स्तरीय दलों के उन प्रत्याशियों के अभिकर्ता, जिन्हें अपने आरक्षित प्रतीकों को इस निर्वाचन क्षेत्र में प्रयुक्त करने की अनुमति दी गई है।

द– पंजीकृत गैर मान्यता प्राप्त दलों के अभिकर्ता।

य– निर्दलीय प्रत्याशियों के अभिकर्ता।

<u>मतदान के दौरान निम्न कार्य विभाजन के अनुसार किये जाने वाले कार्य–</u>

अ–**मतदान अधिकारी प्रथम**–निर्वाचक नामावली की चिन्हित प्रति का प्रभारी एवं मतदाता की पहचान हेतु उत्तरदायी होगा, जो निर्वाचन आयोग द्वारा पहचान हेतु मान्य विकल्पों से पहचान सुनिश्चित करेगा,पुरूष मतदाता होने पर लाल स्याही से रेखाकिंत करेगा तथा महिला मतदाता होने की दशा में रेखाकिंत करने के साथ ही सही (टिक) का निशान भी लगायेगा।

ब–<u>मतदान अधिकारी द्वितीय–</u> मतदाता रजिस्टर 17–क एवं अमिट स्याही का प्रभारी होगा तथा मतदान हेतु मतदाता से सम्बन्धित पृविष्टियों को मतदाता रजिस्टर में अंकित कर हस्ताक्षर अथवा अगूंठा निशानी प्राप्त कर मतदाता पर्ची भी जारी करेगा साथ ही बायें हाथ की तर्जनी अंगुली पर अमिट स्याही लगाकर मतदान अधिकारी तृतीय के पास भेज देगा।

स–<u>मतदान अधिकारी तृतीय–</u> कंट्रोल यूनिट का प्रभारी होगा, जो मतदाता से मतदाता पर्ची लेकर कन्ट्रोल यूनिट के बैलेट बटन को दबाकर मतदान कक्ष में रखें बैलेट यूनिट को सक्रिय करेगा।

द–मतदान के दौरान अभिकर्ताओं को मतदाता सूची बाहर ले जाने की अनुमति न दी जाए।

मतदान के समय आने वाली विशेष परिस्थितियों के निराकरण हेतु ध्यान रखने योग्य सावधानियॉ

1–मतदाता रजिस्टर पर हस्ताक्षर करने के बाद यदि कोई वोट नहीं डालता है तो उससे मतदाता पर्ची वापिस ले ली जायेगी एवं मतदाता रजिस्टर एवं मतदाता पर्ची पर इस आशय का अंकन कर दिया जायेगा।

2–मतदाता पर्ची प्राप्त करने के बाद यदि कोई मतदाता निर्वाचन प्रक्रिया को अतिक्रमित या वाधित करने का प्रयास करता है तो उसे वोट देने से वंचित कर दिया जायेगा, साथ ही मतदाता रजिस्टर एवं मतदाता पर्ची पर भी इस आशय का अंकन कर दिया जायेगा।

3–कन्ट्रोल यूनिट की बैलेट बटन दबाने के बाद यदि कोई मतदाता बोट डालने से मना करता है तो मतदाता रजिस्टर एवं मतदाता पर्ची पर 'वोट देने से मना किया' का अंकन करके अगले मतदाता से मतदान कराया जायेगा।

4–अन्तिम मतदाता होने की दशा में कन्ट्रोल यूनिट की बैलेट बटन दबाने के बाद यदि कोई मतदाता वोट डालने से मना करता है तो ऐसी स्थिति में कन्ट्रोल यूनिट का पावर स्विच आफ करके बैलेट यूनिट के कैबेल को अलग करने के बाद पावर स्विच को आन कर दिया जाये जिससे बैलैट का कमांण्ड समाप्त हो जाये।

5–मतदाता की पहचान को चुनौती (चैलेन्ज वोट) :– पोलिंग एजेन्ट के द्वारा किसी मतदाता की पहचान के संबध में यदि आपित्त की जाती है तो आपत्तिकर्ता से दो रूपये की फीस जमा कराते हुये पीठासीन अधिकारी द्वारा संक्षिप्त जांच की जायेगी, जांच में आपत्तिकर्ता की बात सही पाये जाने पर उस मतदाता को पुलिस के हबाले कर दिया जायेगा तथा आपत्तिकर्ता द्वारा जमा की गई दो रूपये की फीस को वापस कर दिया जायेगा, किन्तु यदि आपत्तिकर्ता की बात सही नहीं पाई जाती तो मतदाता को सामान्य प्रक्रिया के तहत वोट डालने दिया जायेगा और आपत्तिकर्ता द्वारा जमा की गई दो रूपये की धनराशि को जब्त कर लिया जायेगा।

6–निविदत्त मत (टेण्डर वोट) :– जब किसी मतदाता के मतदान केंद्र पर आने पर यह ज्ञात होता है कि उसका मत पहले से ही डाला चुका है इस परिस्थिति में पीठासीन अधिकारी द्वारा प्रारम्भिक जॉच में मतदाता की पहचान सही पाए जाने पर इस प्रकार के मतदाता को पृथक से उपलब्ध कराए गए मतपत्र (बैलेट पेपर) द्वारा निर्धारित तरीके (एरोक्रास मार्क मुहर) से मतदान कराया जाता है एवं प्रयुक्त मत पत्र को पृथक लिफाफे में रखा जाता है। इस प्रकार के मतदाताओं का अंकन प्रारूप 17 ख में किया जाता है।

7– अंधे एवं शिथिलांग मतदाता :– ऐसे मतदाता द्वारा अपना मत देने हेतु सहयोगी की मांग की जाती है तब पीठासीन अधिकारी द्वारा मतदाता द्वारा अपने सहयोगार्थ लाए गए ऐसे व्यक्ति को जो 18 वर्ष से अधिक आयु का हो, को सहयोग करने हेतु अनुज्ञा दी जाएगी। ऐसा सहयोगी किसी एक ही अंधे या शिथिलांग व्यक्ति का सहयोगी हो सकता है। पीठासीन अधिकारी द्वारा सहयोगी व्यक्ति से उपरोक्त आशय की घोषणा निर्धारित प्रारूप पर ली जाएगी।

8– <u>पोस्टल बैलेट</u> – ऐसे मतदान कार्मिक जिनकी भिन्न निर्वाचन क्षेत्र में ड्यूटी लगाई गई है, से फार्म–12 भरवाकर पोस्टल बैलेट(PB) जारी किया जायेगा, जो प्रशिक्षण स्थल पर बने फेसिलिटेशन सेन्टर पर अपना मतदान करेगें।

9–**निर्वाचन ड्यूटी प्रमाण पत्र(ई0डी0सी0)**:–ऐसे मतदान कार्मिक जिनकी ड्यूटी उसी निर्वाचन क्षेत्र में लगाई गई है, जहॉ का वह निर्वाचक है तो उसके द्वारा फार्म 12–क भरा जायेगा एवं उसे निर्वाचन ड्यूटी प्रमाण पत्र जारी किया जायेगा, वह उसी मतदान केन्द्र पर मतदान कर सकेगा।

10–**परोक्षी मतदाता (प्रोक्सी बोटर)**–कुछ विशेष सेवा जैसे आर्मी से जुडे मतदाताओं को, जो अपने निर्वाचन क्षेत्र में आकर बोट न देने की स्थिति में नहीं होते हैं, को परोक्षी मतदाता, जो उसी निर्वाचन क्षेत्र का है, से मतदान कराये जाने की सुविधा प्रदान की जायेगी। परोक्षी मतदाता के बायें हाथ की मध्यमा ऊॅगली पर अमिट स्याही लगायी जायेगी। ऐसे मतदाताओं की सूची प्रथक से उपलब्ध कराई जायेगी साथ ही मतदाता रजिस्टर 17–क में मूल मतदाता का क्रमांक एवं अभियुक्ति के कालम में पी0वी0 लिखा जायेगा।

11–**ए0एस0डी0 मतदाता**:– पीठासीन अधिकारी को निर्वाचक नामावाली की चिन्हित प्रति के साथ ही ए0एस0डी0 मतदाताओं की सूची भी उपलब्ध कराई जायेगी। इस सूची में दर्ज यदि कोई मतदाता बोट डालने आता है तो पीटासीन अधिकारी द्वारा पहचान के दस्ताबेजों के परीक्षण करते हुये मतदाता रजिस्टर 17–क में मतदाता के हस्ताक्षर के साथ ही अंगूठे का निशान लेने के बाद सामान्य प्रक्रिया के तहत मतदान करने की अनुमति प्रदान की जायेगी। ऐसे मतदाताओं का लेखा तैयार कर पीठासीन अधिकारी द्वारा मतदाता रजिस्टर के साथ जमा किया जायेगा।

<u>मतदान की समाप्ति के बाद की जाने वाली कार्यवाही</u>

1–मतदान की समाप्ति के बाद कन्ट्रोल यूनिट की क्लोज बटन दबाकर ई0बी0एम0 मशीन को सीलबन्द किया जायेगा किन्तु ध्यान रहे कि सीलबन्द करने से पूर्व कन्ट्रोल यूनिट की बैटरी को स्विच आफ कर दिया जायेगा।

2–अन्तिम मतदाता का बोट डलवाने के बाद मतदान बन्द होने का घोषणा पत्र भरा जायेगा तथा मतदाता रजिस्टर के अन्तिम प्रयुक्त पृष्ठ के अन्त में लाइन खींचकर मतदाता रजिस्टर की अन्तिम क्रम संख्या लिखकर उपस्थित एजेन्टों के हस्ताक्षर कराये जायेगें।

3–**प्रारूप 17–ग** अर्थात मत लेखा में रिकार्ड किये गये मतों का लेखा तैयार किया जायेगा तथा उपस्थित एजेन्टों/प्रत्याशियों/निर्वाचन अभिकर्ताओं को मांगने पर लेखे की प्रमाणित प्रति प्राप्त कराकर उसकी प्राप्ति रसीद ले ली जायेगी।

4–**पी0एस0–05** जिसमें मतदान करने वाले मतदाताओं में कितनी महिलायें एवं कितने पुरूषों के द्वारा मतदान किया गया है एवं कितने मतदाताओं में मतदाता फोटो पहचान पत्र का तथा कितने मतदाओं ने अन्य विकल्पों का प्रयोग किया है, का विवरण होता है, को तैयार किया जायेगा।

<u>मतदान समाप्ति के बाद जमा होने वाले महत्वपूर्ण प्रपत्र</u>

1–<u>ई0वी0एम0 मशीन के साथ जमा होने वाली सामग्री/प्रपत्र</u>

ए–मतो का लेखा 17–ग
बी–पीठासीन अधिकारी की डायरी
सी–मॉकपोल का प्रमाण पत्र
डी–पी0एस0–05
ई–आगमन सीट(विजिट सीट)
एफ–पीठासीन अधिकारी द्वारा मतदान के पूर्व एवं मतदान के बाद की गई घोषणाओं के प्रारूप

2–**<u>सांविधिक लिफाफा(हरे रंग का)– इसके भीतर पॉच महत्वपूर्ण लिफाफे होंगें।</u>**

ए–निर्वाचक नामावाली की चिन्हित प्रति का लिफाफा
बी–मतदाता रजिस्टर 17–क का लिफाफा
सी–प्रयुक्त मतदाता पर्ची का लिफाफा
डी–प्रयुक्त टेण्डर वोट का लिफाफा
ई–अप्रयुक्त टेण्डर वोट का लिफाफा

3–असांविधिक लिफाफा (पीले रंग का)–इसके भीतर ग्यारह लिफाफे होगें

1–निर्वाचक नामावली की अन्य प्रतियों का लिफाफा
2–चेलेन्ज मतों की सूची का लिफाफा
3–चेलेन्ज मतों के लिये प्राप्त रसीद बुक एवं नकद धनराशि यदि कोई का लिफाफा
4–पोलिग एजेन्टों की नियुक्ति पत्र से सम्बन्धित लिफाफा
5–निर्वाचन ड्युटी प्रमाण पत्र अर्थात ईडीसी का लिफाफा
6–अन्धें एवं शिथिल अंग वाले निर्वाचकों की सूची एवं साथियों द्वारा की गई घोषणाओं का लिफाफा
7–आयु के सम्बन्ध में की गई घोषणाओं एवं निर्वाचकों की सूची का लिफाफा
8–अप्रयुक्त एवं क्षतिग्रस्त मतदाता पर्ची का लिफाफा
9–अप्रयुक्त एवं क्षतिग्रस्त ग्रीन एवं पिंक पेपरसील का लिफाफा
10–अप्रयुक्त एवं क्षतिग्रस्त स्ट्रिप सील का लिफाफा
11–अप्रयुक्त एवं क्षतिग्रस्त विशेष टेग का लिफाफा

भूरे रंग का लिफाफा– इसमें सात लिफाफे होंगें।

1–पीठासीन अधिकारी को दी गयी पुस्तिका का लिफाफा
2–ई0वी0एम0 मशीन की निर्देशिका एवं वीवीपेट की निर्देशिका का लिफाफा
3–अमिट स्याही का लिफाफा
4– अमिट स्याही का कप का लिफाफा
5–पीठासीन अधिकारी को दी गई धातु की मुहर का लिफाफा
6–रबड की एरोक्रास की मुहर का लिफाफा
7–बैंगनी रंग का स्टाम्प पैड का लिफाफा

लोकसभा सामान्य निर्वाचन – 2019 जनपद–सम्भल

EVM / VVPAT

क्या करें :–

1. पीठासीन अधिकारी को प्रस्थान स्थल पर ईवीएम/वीवीपैट प्राप्त करने के पश्चात्–
   अ. बी0यू0/सी0यू0/वीवीपैट पर लगे समस्त सीलों की जॉच करनी है।
   ब. बी0यू0/सी0यू0/वीवीपैट पर लगे एड्रेस टैग पर अंकित मतदेय स्थल की संख्या व नाम का अपने ड्यूटी आर्डर से मिलान करना है।
   स. वीवीपैट के लॉक/अनलॉक (Transportation/Working) स्विच की जॉच करें एवं (Transportation) स्थिति में उसको लॉक अर्थात Horizental स्थिति में रखा जायेगा।
2. बी0यू0 को वीवीपैट और वीवीपैट को सी0यू0 से जोड़ने के समय कन्ट्रोल यूनिट के पावर स्विच को बन्द(off) रखना है। वीवीपैट की स्लाइड स्विच–1 नम्बर पर होना चाहिए।
3. मतदान प्रारम्भ होने के एक घण्टा पूर्व मॉक पोल में नोटा सहित सभी प्रत्याशियों को कम से कम तीन–तीन वोट एवं समग्र रूप से न्यूनतम 50 मत अवश्य डलवाये जाय।
4. मॉक पोल के पश्चात् कन्ट्रोल यूनिट से रिजल्ट प्राप्त कर वीवीपैट की पर्ची से मिलान करेंगे तत्पश्चात् मॉक पोल सर्टिफिकेट तैयार करेंगे।
5. वीवीपैट की पर्ची के पीछे मॉक पोल स्लिप की मोहर लगाकर पीठासीन अधिकारी हस्ताक्षर कर काले लिफाफे में रखते हुए तथा प्लास्टिक डिब्बे में रखकर जिस पर मतदेय स्थल का पूरा अंकित रहेगा, में पिंक पेपर सील से सील करेगें।
6. मॉक पोल की कार्यवाही पूर्ण होने के पश्चात Close-Result-Clear की प्रक्रिया से क्लियर किया जाना है तथा रिजल्ट सेक्शन के आंतरिक भाग को ग्रीन पेपर सील व स्पेशल टैग से सील किया जायेगा तथा वीवीपैट के ड्रोप बोक्स को भी एड्रेस टैग से सील किया जायेगा।
7. कन्ट्रोल यूनिट के डिस्पले पर बैलेट यूनिट नॉट कनेक्टेड, वीवीपैट नाट कनेक्टेड, वैलेट यूनिट नाट रेस्पोंडिंग, वीवीपैट नाट रेस्पोंडिंग प्रदर्शित होने पर कन्ट्रोल यूनिट के पावर स्विच को बन्द करके, बैलेट यूनिट और वीवीपैट के कनेक्शन को सही किया जायेगा तथा वीवीपैट के लॉक/अनलॉक (Transportation/Working) स्विच को अनलॉक (In Working) स्थिति में रखा जायेगा।
8. मॉक पोल के दौरान बी0यू0, सी0यू0 अथवा वीवीपैट जो भी यूनिट खराब होगी मात्र वही यूनिट बदली जायेगी तथा बदली गई यूनिट सम्बन्धित अधिकारी/सेक्टर मजिस्ट्रेट को वापिस कर दी जायेगी।
9. मतदान के दौरान यदि वीवीपैट खराब होने पर मात्र वीवीपैट बदला जायेगा तथा मॉक पोल नहीं किया जायेगा और यह यूनिट पीठासीन अधिकारी द्वारा ही अन्य यूनिट के साथ जमा की जायेगी।
10. मतदान के दौरान यदि बी0यू0 अथवा सी0यू0. खराब होगी तो बी0यू0, सी0यू0 एवं वीवीपैट तीनों बदले जायेंगे तथा नोटा सहित समस्त प्रत्याशियों के एक–एक बटन दबाकर मॉक पोल कराया जायेगा और बदली गई यूनिट भी अन्य यूनिट के साथ पीठासीन अधिकारी द्वारा ही जमा कराई जायेगी।
11. मतदान समाप्ति के पश्चात Close बटन दबाया जाना अनिवार्य है।
12. वीवीपैट को तेज धूप/प्रकाश/पानी एवं धूल से बचाकर रखा जाये तथा उसे हमेशा समतल सतह पर रखा जाये।
13. सी0यू0 के डिस्पले पर यदि Invaled दिखायी दे रहा है तो इसका मतलब है कि Close-Result-Clear का पालन नहीं किया गया है।
14. यदि पोलिंग बूथ पर Halogen Light लगी है तो उसे तुरन्त हटाया जाये तथा उसके स्थान पर एल0ई0डी0 लाइट का प्रयोग किया जाये।

15. पीठासीन अधिकारी वीवीपैट को बूथ पर ले जाते समय उसको वाहन के झटकों से बचायें तथा सावधानी पूर्वक उठाये और रखें।

क्या न करें :—

1. **EVM/VVPAT** को हीटर या किसी अन्य गर्म वस्तु के पास न रखें। **VVPAT** का प्रयोग तेज धूप/तेज प्रकाश की रोशनी में न करें।
2. **VVPAT** को **UNLOCK (In Working)** करने से पूर्व कन्ट्रोल यूनिट के पॉवर स्विच को **On** न करें।
3. **EVM/VVPAT** को सील करते समय इनके ऊपर पिघली हुई मोम/लाख नहीं गिरनी चाहिए।
4. मतदान समाप्त होने तक **VVPAT** के **Lock/Unlock (Transportation/ Working)** स्विच को न छेड़ें।
5. डिस्पले बोर्ड पर एक डिस्पले प्रदर्शित होने के समय दूसरा बटन न दबायें।
6. मतदान के दौरान किसी भी दशा में कन्ट्रोल यूनिट के **Close** बटन के ऊपर लगे काले रंग के कैप को न खोलें।
7. पीठासीन अधिकारी को पोलिंग पार्टी के प्रस्थान स्थल पर वीवीपैट को वी0यू0 व सी0यू0 से जोड़कर कोई जॉच नहीं करनी है।
8. वीवीपैट का पेपर रोल, पावर पैक (बैट्री) को मतदान के दौरान नहीं बदला जायेगा।
9. सी0यू0 की बैट्री रिटर्निंग ऑफिसर के द्वारा सील की जाती है, इसलिए सी0यू0 की बैट्री को मतदान के दौरान नहीं बदला जा सकता है।

<u>EVM/VVPAT में आने वाली खराबी तथा उसका निवारण</u>

क्र0स0	समस्यायें	कारण	निदान
1	जब ईबीएम ऑन करते हैं तो डिस्पले बोर्ड पर **EVM is On** नहीं आता।	बैंट्री ठीक से नहीं लगी है या बैंट्री **Low** है।	**A.R.O.** के संज्ञान में लायें।
2	डिस्पले बोर्ड पर **Invalid** आ रहा है।	बटन को सही क्रम में क्लाक वाईज दिशा में नहीं दबाया गया है।	**Close-Result-Clear** को **C-R-C** क्लाक वाइज डारेक्शन में दबायें।
3	**TOTAL** बटन दबाने पर कुछ नहीं आ रहा है।	**BUSY RED LAMP** जला है	वोटर को वोट डालने के लिये कहें। **BUSY RED LAMP** बन्द होते ही **TOTAL BUTTON** काम करने लगेगा
4	कन्ट्रोल यूनिट के बैलेट बटन को दबाने पर **BUSY LAMP** न जले तथा बैलेट यूनिट**Not Conected** या **VVPAT Not Conected** अथवा बैलेट यूनिट **Not Responding** या **VVPAT Not Responding** डिस्पले हो रहा है।	यूनिट का आपस में कनेक्शन सही से नहीं लगा है अथवा **VVPAT** को **UNLOCK (In working)** नहीं किया गया है	कन्ट्रोल यूनिट के पॉवर स्विच को बन्द करें। बैलेट यूनिट को **VVPAT** व **VVPAT** के कन्ट्रोल यूनिट से कनेक्शन की जॉच करें तथा **VVPAT** के **LOCK/ UNLOCKTransportation/Working)** स्विच को **UNLOCK (In Working)** स्थिति में करें। इसके उपरान्त कन्ट्रोल यूनिट के पॉवर स्विच को ऑन करें।
5	कन्ट्रोल यूनिट पर **VVPAT 1 Not Connected Display** होने पर	**VVPAT** का स्लाइड स्विच 1 नम्बर पर नहीं है अथवा **VVPAT** को कन्ट्रोल यूनिट से नहीं जोड़ा गया है।	कन्ट्रोल यूनिट के पॉवर स्विच को ऑफ करें। **VVPAT** के कन्ट्रोल यूनिट से किये गये कनेक्शन को चैक करें। **VVPAT** का स्लाइड स्विच 1 नम्बर पर करें।
6	कन्ट्रोल यूनिट में **2.1 Error, 2.3 Error, 2.7 Error, 2.8 Error, 2.9 Error, 2.10 Error** प्रदर्शित हो तो	**VVPAT** काम नहीं कर रहा है ।	**VVPAT** बदल लें।